रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 172
No. 177] DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSA 1, 1937 [N.C.T.D. No. 172

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सतर्कता निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2015

सं.फा. 01/66/2015/डीओवी/15274—15281.—जबकि, पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के कामकाज में कथित कदाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं की श्रृंखला और दिल्ली में क्रिकेट के खेल में कुप्रशासन के संबंध में कुछ दिग्गज खिलाड़ी सहित सेवानिवृत भारतीय क्रिकेटरों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जुलाई, 2015 में दिल्ली सरकार को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से एक पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमें दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा की गई अनियमितताओं के मामले में समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

और जबकि, इन शिकायतों के अनुसार तथा भारत सरकार से संप्रेषण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मामले की जांच के लिये तीन सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने डीडीसीए के मामलों की शुद्धि के संबंध में कई सिफारिशें की। सिफारिशों में से एक डीडीसीए से संबंधित अन्य मामलों के अलावा विभिन्न कुकृत्यों/आरोपों की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक जांच आयोग नियुक्त करने पर विचार किया गया था।

और जबकि, यह मामला विचारार्थ मंत्री परिषद् के समक्ष रखा गया था। विचार–विमर्श के पश्चात् मंत्री परिषद् ने दिनांक 21.12.2015 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 2274 के द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक जांच आयोग गठित करने का संकल्प लिया है।

और जबकि, निम्नलिखित संकल्प दिल्ली विधानसभा द्वारा दिनांक 22.12.2015 को अंगीकृत किया गया :–

"अत्यधिक चिन्ता के साथ डीडीसीए की कार्यप्रणाली के संबंध में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए यह सदन संकल्प पारित करता है कि :

- जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इन आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाए।

यह सदन आगे यह भी संकल्प पारित करता है कि:–

- सरकार इस आयोग के लिये यथोचित विचारणीय विषय निर्धारित कर सकती है।"

अब इसलिए, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा श्री गोपाल सुब्रामणयम्, वरिष्ठ वकील (सर्वोच्च न्यायालय) एवं भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल वाला जाँच आयोग नियुक्त करती है।

आयोग के विचारणीय विषय निम्नलिखित की जांच करना होगा :–

(क) डीडीसीए की कार्यप्रणाली, प्रबंधन तथा प्रशासन (जिसमें कथित वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं);

(ख) क्या ऐसी कार्यप्रणाली क्रिकेट के खेल के अनुकूल हैं;

(ग) डीडीसीए को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक संस्था बनाने की सिफारिश;

(घ) 01 जनवरी, 1992 और 30 नवम्बर, 2015 की अवधि के दौरान डीडीसीए और उसके पदाधिकारियों द्वारा किये गये लोप या करण त्रुटि की पहचान करना तथा जिम्मेदारी तय करना;

(ङ) क्या ऐसे चूक कृत्यों की खोज की जाने की आवश्यकता है, यदि है तो उसके तरीके सुझाना;

(च) डीडीसीए को प्रभावी तथा पारदर्शी निकाय बनाने की सिफारिशें करना ताकि वह क्रिकेट के गौरवशाली खेल को बढ़ावा दे सके तथा स्वाभाविक प्रतिभा को विकसित कर सके।

इस कार्य के लिये श्री गोपाल सुब्रामणयम् को एक रुपये का भुगतान किया जायेगा।

आयोग यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लेकिन यह उसकी पहली बैठक की तिथि से तीन माह से अधिक नहीं होगी।

आयोग द्वारा जाँच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा–5 की उपधारा–2, उपधारा–3, उपधारा–4, उपधारा–5 तथा उपधारा–5क के समस्त प्रावधान आयोग पर लागू होंगे। जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा–1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि आयोग पर उस धारा की सभी उपधाराओं 2, 3, 4, 5 तथा 5क के सभी प्रावधान लागू होंगे।

राजेश तिवारी, उप–सचिव (सतर्कता)

DIRECTORATE OF VIGILANCE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd December, 2015

No. F. 01/66/2015/DOV/15274-15281 .—Whereas, over the past few months, the Govt. of National Capital Territory of Delhi received several complaints by retired Indian Cricketers, that included among them a few legends of the game, about a series of alleged malpractices and financial irregularities in the functioning of Delhi & District Cricket Association (DDCA) and the maladministration of the game of cricket in Delhi. In July, 2015, the Government also received a letter from the Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India, requesting to take appropriate action into matters of irregularities committed by Delhi & District Cricket Association.

And whereas, pursuant to these complaints and Govt. of India communication, the Govt. of NCT of Delhi set up a three member committee to enquire into the matter. The Committee made several recommendations with regard to cleaning up the affairs of DDCA. One of the recommendations was to consider appointing a Commission of Inquiry

under the Commissions of Inquiry Act, 1952 to probe various wrong doings/allegations among other issues pertaining to DDCA.

And whereas, the matter was placed before the Council of Ministers for consideration. After deliberations, the Council of Ministers resolved vide Cabinet decision no. 2274 dated 21/12/2015 to constitute a Commission of Inquiry under Commissions of Inquiry Act, 1952.

And whereas, the following Resolution was adopted by the Delhi Legislative Assembly on 22/12/2015 :-

"That having noted with grave concern the serious allegations regarding irregularities in the functioning of the DDCA, this House resolves that:

- Pursuant to Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, a Commission of Inquiry be constituted by the Government of the National Capital Territory of Delhi to inquire into these allegations.

This House further resolves that:

- The Government may prescribe appropriate terms of reference for the Commission, as it deems fit."

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, the Govt. of NCT of Delhi hereby appoints the Commission of Inquiry consisting of Sh. Gopal Subramanium, Senior Lawyer (Supreme Court) and former Solicitor General of India. The terms of reference of the Commission shall be to conduct inquiry into the:-

(a) working, management and administration (including alleged financial irregularities) of the DDCA;

(b) whether such practices have been conducive to the game of cricket;

(c) recommendations to make DDCA an institution compatible with international standards;

(d) identify any acts of omission and commission by DDCA and its office bearers during the period between January 1, 1992 and November 30, 2015 and fix responsibility;

(e) and whether such acts of omission need to be pursued and if so, in what manner;

(f) recommendations to make DDCA an effective and transparent body so that it could promote the glorious game of cricket and identify and nurture talent.

Sh. Gopal Subramanium shall be paid Rs. One for this assignment.

The Commission shall submit its report as soon as possible but not later than three months from the date of its first sitting.

Having regard to the nature of inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section-2, sub-section-3, sub-section-4, sub-section-5 and sub-section-5 A of section- 5 of the said Commissions of Inquiry Act, 1952 shall be applicable to the Commission, and the Govt. of NCT of Delhi in exercise of the powers conferred under sub-seetion-1 of section-5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 hereby directs that all provisions of the sub-sections-2, 3,4,5 and 5A of that section shall apply to the Commission.

RAJESH TIWARI, Dy. Secy. (Vig.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.